

क्रमांक :—एफ.2(9034) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 20 /

जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विपेन्द्र सिंह, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति—बीकानेर, बीकानेर द्वारा Mangalayatan University अलीगढ़ उत्तर प्रदेश (ऑनलाईन माध्यम) से Diploma in Mechanical Engineering (WILP) में अध्ययन हेतु प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री विपेन्द्र सिंह, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समाप्त ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बाँगेर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किये जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर—मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. अतिरिक्त निदेशक, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर
3. श्री विपेन्द्र सिंह, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति—बीकानेर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAMESHWAR LAL SOLANKI <rslsolanki@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by
Rameshwari Lal Solanki
Designation : Head Of Office
Date : 23-12-2025 04:35:13

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर
फोन : 0141—22224855, 2222439, फैक्स : 0141—2220000 वेबसाईट : www.doit.rajasthan.gov.in
रजिस्ट्रेशन नं. 19544976

eSign DSC